मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/शि.क./ए/2013/ 1565 भोपाल, दिनांक 16.7.2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :– संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के संबंध में पदभार ग्रहण करने की जानकारी बावत्।
संदर्भ :– विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1–6/2013/20–1 भोपाल दिनांक 14.06.2013

विभाग के संदर्भित आदेश के द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –1, 2 एवं श्रेणी 3 के पद पर नियोजित किए गए संविदा शाला शिक्षकों के पदांकन की सूची एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल से दिनांक 04.07.2013 को जारी की गई है। सूची को डाउनलोड कर जावक कर संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराने एवं पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गये है। जिलों में जिला/ जनपद पंचायत अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षकों के द्वारा पदभार ग्रहण की कार्यवाही संम्पन्न हो गई होगी। पदभार ग्रहण करने वाले संविदा शाला शिक्षकों की जानकारी की ऑनलाईन प्रविष्ठि एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध साफ्टवेयर के माध्यम से की जाना है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी उनको उपलब्ध कराये गए पासवर्ड की सहायता से एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर G2G Login कर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत पदभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी की प्रविष्ठि करेंगे। निकाय अन्तर्गत श्रेणीवार/विषयवार चयनित एवं पदांकित संविदा शाला शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर दर्शित होगी। जिन संविदा शाला शिक्षकों द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है उनके नाम के आगे पदभार करने वाले संविदा शाला शिक्षकों के नाम के सम्मुख joined वाले कॉलम में चेक मार्क (✓) करते जाएंगे। जब समस्त पदभार ग्रहण करने वाले संविदा शाला शिक्षकों की प्रविष्ठि हो जाएगी तब एक बार पुनः इस बात को सुनिश्चित करलें कि कोई भी गलत प्रविष्ठि तो नही है। यदि ऐसा प्रतीत होता है तो एडिट ऑप्शन पर जाकर उक्त प्रविष्ठि को परिवर्तित कर लें। तत्पश्चात सूची के सबसे नीचे जाकर सबमिट करदे।

निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात परिवर्तन सम्भव नही होगा।

3 उक्त प्रविष्ठि करने के उपरांत स्क्रीन के नीचे दो सूचिया प्राप्त होगी एक सूची में पदभार ग्रहण करनें वाले आवेदकों के नाम एवं दूसरी सूची में पदभार ग्रहण नही करनें वाले आवेदकों के नाम दिखाई देंगे इसका अवलोकन कर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उनके द्वारा सम्पादित की गई कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अथवा नही जिला शिक्षा अधिकारी उक्त सूचियों को डाउनलोड कर प्रिन्ट प्राप्त कर अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेंगे।

4. पदभार ग्रहण करने वाले संविदा शाला शिक्षकों की जानकारी की एम.पी.ऑनलाईन प्रविष्ठि हेतु सॉफ्टवेयर दिनांक 18/07/2013 को दोपहर 12 बजे से 22/07/2013 को रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

उक्त निर्देशों का निर्धारित समय अवधि मे पालन सुनिश्चित किया जावें।

(एस.के. पॉल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/शि.क./ए/2013/ 1566 भोपाल, दिनांक 16.7.2013

प्रतिलिपि:—

1 निज सहायक, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. सी.ओ.ओ., एम.पी.ऑन लाईन, निरूपम बिल्डिंग, होशंगाबाद रोड भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश